



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-32/2019- 1059 दिनांक : 14/11/19

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमंडल, गुमला/सराईकेला वन प्रमंडल,  
सराईकेला/चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा/भेदिनीनगर वन प्रमंडल,  
भेदिनीनगर/चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल,  
हजारीबाग/बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (अन्य व्यय) के अन्तर्गत रंगीनी एवं कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समुह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) हेतु कुल **रु0 238.299 लाख (दो करोड़ अड़तीस लाख उन्तीस हजार नौ सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-46/2019-42/स्वी0 व0प0 दिनांक 27.09.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-46/2019-91/आ0 व0प0 दिनांक 30.09.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष- 09 "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रु0 238.299 लाख (दो करोड़ अड़तीस लाख उन्तीस हजार नौ सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601102090103	41.524
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601102090323	196.775
कुल :-		<b>238.299</b>

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1(क) एवं 1(ख) पर वर्णित प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित

कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्य दर अनुलग्नक-2(क) एवं 2(ख) एवं ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

इस योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यों के लिए संबंधित प्रशिक्षण विद्यालयों को राशि पूर्व में उप-आवंटित कर दी गई है। इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक -सह- मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची से सम्पर्क कर दिशा निर्देश प्राप्त किया जा सकता है।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन समितियों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी, उस समिति से संबंधित सभी अभिलेख एवं उत्पादित लाह से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

4. इस योजना का कोड संख्या- 19S240601102090103, 19S240601102090323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे, जिनके द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

8. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती है, तो उन दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाता/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


12. नियंत्रि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी, या GeM से किया जाएगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्रि पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा


**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

विश्वामभाजन,  
  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-32/2019- 1059 दिनांक-14/11/19

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित मुख्य वन संरक्षक -सह- मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/जमशेदपुर/ मेदिनीनगर/ हजारीबाग/बोकारो /वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/ जमशेदपुर/ चाईबासा/ मेदिनीनगर/ चतरा/ हजारीबाग/ बोकारो/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक :- यथोक्त ।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-32/2019- 1059 दिनांक-14/11/19

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गुमला/ सराईकेला/ चाईबासा/ मेदिनीनगर/ चतरा/ हजारीबाग/ बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का प्रथम वर्ष का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय वर्ष 2019-20 प्रथम वर्ष		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
				6.860	60.041	66.901
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	125	12500	6.860	60.041	66.901
2	सराईकेला वन प्रमंडल, सराईकेला	125	12500	6.860	60.041	66.901
3	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	125	12500	6.860	60.041	66.901
योग :-		375	37500	20.580	180.123	200.703


प्रधान-मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

n

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का प्रथम वर्ष का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय वर्ष 2019-20 प्रथम वर्ष		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
				5.236	4.163	9.399
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	125	12500	5.236	4.163	9.399
2	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	125	12500	5.236	4.163	9.399
3	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	125	12500	5.236	4.163	9.399
4	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	125	12500	5.236	4.163	9.399
योग :-		500	50000	20.944	16.652	37.596

  
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
 झारखण्ड, राँची।

~

**कुसुमी लाह उत्पादन हेतु कार्य दर तालिका**  
 कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (समुक्त वन प्रवर्धन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह युग्म द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना (तीन वर्षीय) की कार्य दर  
 लाह-पौधाक प्रजाति कुसुम के वृक्षों की संख्या-12500 प्रति वन प्रपञ्च (10 वृक्ष प्रति लागू परिवार, कुल 1250 लागू परिवार)

(रु० लाख में)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दर	प्रथम वर्ष 2019-20 मजदूरी प्रति मानव दिवस 249.83				द्वितीय वर्ष 2020-21 मजदूरी प्रति मानव दिवस 287.30				तृतीय वर्ष 2021-22 मजदूरी प्रति मानव दिवस 330.40				सकल योग	अनुशक्ति		
			मौलिक लेब	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	मौलिक लेब	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	मौलिक लेब	मजदूरी			सामग्री	प्रशिक्षण
1	वृक्षों का चिह्नकन	रु० 2.98 प्रति वृक्ष	12500	0.373	0.000	0.000	0.373										0.373	प्रति लागू परिवार 10 कुसुम के वृक्षों को चिह्नकन किया जाएगा किन्तु तीन वृक्षों में से एक (अर्थात्) प्रथम वर्ष में वृक्ष-1 के नामांकित द्वारा वृक्षों से की कटाई करवाई किए गए 1250 (1 वृक्ष प्रति परिवार) अवकाश वृक्षों पर चरवाही/खरवी गारे में वृक्षों लागू कर का संभारण किया जाएगा एवं वृक्ष-2 के 5000 वृक्षों (1 वृक्ष प्रति परिवार) की कटाई करवाई की जाएगी।
1	प्रशिक्षण																	प्रारंभिक प्राकृतिक राल एवं गारे संभारण, गोबरगुण, रीकी (JNRG) के तहत कैलिनिका द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
	(क) हिरण्यारी परिवारों के एक-एक सदस्य को समूहों में JNRG के लाह बैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रु० प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	0.250	1.250			1.000	0.250	1.250					3.750	
	(ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक-एक शिक्षित सदस्य / प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गारे संभारण, नामकुन, सैवी में एक सकाराह का प्रशिक्षण	2000 रु० प्रति परिवार/वर्ष				0.260	0.260				0.000	0.000					0.260	
3	टूलकॉट एवं अन्य सामग्री	रु० 1775/- प्रति टूलकॉट, 100 वृक्षों पर एक कौट			2.219		2.219				0.000	0.000					2.219	प्रथम वर्ष में वृक्ष-1 के नामांकित द्वारा कटाई करवाई किए गए 1250 (1 वृक्ष प्रति परिवार) अवकाश वृक्षों पर चरवाही/खरवी गारे में वृक्षों लागू कर का संभारण किया जाएगा एवं वृक्ष-2 के 5000 वृक्षों की कटाई करवाई की जाएगी। द्वितीय वर्ष में वृक्ष-3 के 1250 वृक्षों की कटाई करवाई एवं वृक्ष-2 के 5000 वृक्षों पर वृक्षों लागू कर का संभारण किया जाएगा। तृतीय वर्ष में वृक्ष-3 के 1250 वृक्षों पर वृक्षों लागू कर का संभारण।
4	वृक्षों की कटाई-छंटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष	5000	2.498			2.498				2.155	2.155					4.653	तीन वर्षों का कुल प्रोत्साहन के संभारण से किया जाएगा।
5	वृक्षों को लाह का कृष	4-6 कि० ग्राम प्रति वृक्ष, रु० 200.00 प्रति कि०ग्रा०	3750		45.000		45.000				0.000	0.000					45.000	
6	संभारण व्यय	1 मा० रु० प्रति 5 वृक्ष	3750	1.874			1.874				2.873	2.873					7.225	क्रय किए गए वृक्षों लागू कर प्रथम वर्ष के उत्तरी/खरवी गारे में वृक्षों लागू कर का संभारण वृक्ष-1 के पूर्व में नामांकित द्वारा कटाई करवाई किए गए वृक्षों पर 1250 वृक्षों पर वृक्षों लागू कर का संभारण एवं वृक्षों के उत्तरी गारे में वृक्ष-2 के वृक्षों

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दर	प्रथम वर्ष 2019-20 पर्यटन प्रति माह रिवस 249.83				द्वितीय वर्ष 2020-21 पर्यटन प्रति माह रिवस 287.30				तृतीय वर्ष 2021-22 पर्यटन प्रति माह रिवस 300.40				कुल योग	अवशेष						
			मासिक लक्ष्य	पर्यटन	साधन	प्रतिफल	मासिक लक्ष्य	पर्यटन	साधन	प्रतिफल	मासिक लक्ष्य	पर्यटन	साधन	प्रतिफल								
7	फसल संरक्षण पर व्यय	60 रु प्रति वृक्ष (कॉटेनासक इत्यादि)	3750 वृक्ष		2.250		2.250		2.250	5000 वृक्ष		3.000		3.000		3.000	3750 वृक्ष	2.250	2.250	7.500	पंचम वित्त वर्ष में कोट-2 के अंतर्गत वृक्षों पर उपर्युक्त कार्य के अंतर्गत वृक्षों का संरक्षण किया जाएगा।	
8	कॉटेनासक डिडकाव हेतु संकिका से भूमीन	1 भूमीन प्रति 10 लागू परिसर @ 8000 रु			7.500		7.500		7.500					0.000		0.000				7.500		
9	यु.सी का स्कैपिंग एवं संग्रहण	4 मात्र दिवस प्रति 100 वृक्ष	3750 वृक्ष		0.375		0.375		0.375	5000 वृक्ष		0.575		0.575		0.575	3750 वृक्ष	0.495	0.495	1.445		
10	लकड़ियों का संरक्षण (विशेषज्ञों एवं सहित)				0.250		0.250		0.250			0.250		0.250		0.250		0.250	0.250	0.750		
11	लाह पर्यटकों को मानदेय	1 पर्यटक @ R. 5000/ पर्यटक/माह	1 पर्यटक		0.300		0.300		0.300	1 पर्यटक (12 माह)		0.600		0.600		0.600	1 पर्यटक (12 माह)	0.600	0.600	1.500		
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000 रु प्रति माह	12 CRP (6 माह)		1.440		1.440		1.440	12 CRP (12 माह)		2.880		2.880		2.880	12 CRP (12 माह)	2.880	2.880	7.200		
13	अन्य आकस्मिक व्यय (बौद्ध/प्लैस्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)				0.000		0.500		0.500			0.500		0.500		0.500		0.500	0.500	1.500		
		कुल योग-			6.860		58.719		66.089			9.083		4.750		14.083		6.454	4.000	10.704	90.876	
14	Concurrent Monitoring and Evaluation (Including MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)				1.322		1.322		1.322			0.282		0.282		0.282		0.214	0.214	1.818		
		सकल योग-			6.860		60.041		67.411			9.083		5.032		14.365		6.454	4.214	10.918	92.694	

नोट : वल्लभ वित्त वर्ष के लिए पर्यटन पर अग्र वित्त वर्ष पर प्रथम वित्त वर्ष द्वारा निर्धारित व्यय पर पर्यटन वित्त वर्ष के अंतर्गत पर्यटन का अनुमान देकर किया जाएगा।

अग्रानुभव के संरक्षक, विकास,  
शारदापुर, सीडी।



**रंगिनी लाह उत्पादन हेतु संशोधित कार्य दर तालिका**  
 रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (समुदाय वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं सफूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना की कार्य दर  
 लाह प्रथम प्रवर्ति पराशर के वृक्षों की संख्या-12500 प्रति प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लागूक परिवार कुल 12500 लागूक परिवार)

(रु० लाख में)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दर	प्रथम वर्ष 2018-20 मजदूरी प्रति मजदूर दिवस 249.83				द्वितीय वर्ष 2020-21 मजदूरी प्रति मजदूर दिवस 287.30				तृतीय वर्ष 2021-22 मजदूरी प्रति मजदूर दिवस 330.40				सकल योग	अव्ययित		
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सागरी	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सागरी	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी			सागरी	प्रशिक्षण
1	वृक्षों का चिह्नंकन	रु० 298 प्रति वृक्ष	12500	0.373	0.000	0.000	0.373										0.373	प्रति लागूक परिवार 10 पराशर के वृक्षों का चिह्नंकन किया जाएगा जिससे 5-5 वृक्षों के दो सेट में बाँटा जाएगा। प्रथम वर्ष में सेट-1 पर द्वितीय वर्ष में सेट-2 के वृक्षों की कटाई-बटाई करवाई/गर्द गारे में की जाएगी।
2	प्रशिक्षण  (क) हितग्राही परिवारों के एक-एक सदस्य को समूहों में INRSG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण  (ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक-एक शिक्षित सदस्य / प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान, नामकुम, राँची में एक सप्ताह का प्रशिक्षण	100 रु० प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	0.250	1.250			1.000	0.250	1.250					3.750	प्रथम वर्ष करवाई/गर्द में सेट-1 के 8250 वृक्षों की कटाई-बटाई एवं द्वितीय वर्ष में सेट-2 के वृक्षों की कटाई-बटाई की जाएगी।
3	दूरलकीट एवं अन्य सामग्री	रु० 1775/- प्रति दूरलकीट: 100 वृक्षों पर एक कीट			2.219		2.219			0.000		0.000					2.219	
4	वृक्षों की कटाई-बटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष	6250	3.123			6250	3.591									6.714	द्वितीय वर्ष का कटाई-बटाई के माध्यम से किया जाएगा।
5	बीहन लाह का क्रय	700 ग्राम से 1 00 कि०ग्राम प्रति वृक्ष: रु० 200.00 प्रति कि०ग्राम								12.500							12.500	गार वर्ष उत्पादित बीहन से 6250 वृक्ष
6	संचारण व्यय	1 मानव दिवस प्रति 20 वृक्ष						0.898				1.032					1.929	कम किए गए बीहन लाग से द्वितीय वर्ष के अक्टूबर/नवंबर माह में बीहन लाह का संकलन सेट-1 के वृक्षों पर किया जाएगा तथा द्वाबिध वर्ष के अक्टूबर/नवंबर माह में सेट-2 के वृक्षों पर संकलन किया जाएगा जिससे सेट-1 के वृक्षों से प्राप्त बीहन लाग का संकलन किया जाएगा।
7	फसल संरक्षण पर व्यय	30 रु० प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि)								1.875							3.750	

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दर	प्रथम वर्ष 2018-20 मजदूरी प्रति मास दर 249.83				द्वितीय वर्ष 2020-21 मजदूरी प्रति मास दर 287.30				तृतीय वर्ष 2021-22 मजदूरी प्रति मास दर 330.40				सकल योग	अनुमति			
			मासिक लक्ष्य	मजदूरी	सागरी	प्रशिक्षण	कुल व्यय	मासिक लक्ष्य	मजदूरी	सागरी	प्रशिक्षण	कुल व्यय	मासिक लक्ष्य	मजदूरी			सागरी	प्रशिक्षण	कुल व्यय
8	कीटनाश छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे मशीन @ 80000/सां	1 मशीन प्रति 10 तमसुक परिवार @ 80000/सां																7.500	
9	फुन्की का स्कैपिंग एवं संप्रहण	4 मास दर 100 रुस प्रति				0.000	6250 रुस	0.718		0.250	0.000	0.250	0.718	6250 रुस	0.825			0.825	1.544
10	तकनीकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाइ पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)					0.250				0.250								0.250	0.750
11	लाइ पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक @ Rs. 5000/- पर्यवेक्षक प्रति मास	1 पर्यवेक्षक (6 माह)	0.300	0.000	0.000	0.300	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	0.600	1.500
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 200000 प्रति मास	12 CRP (6 माह)	1.440			1.440	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880	7.200	
13	अन्य आकारिक व्यय (बोर्ड/व्यक्ति रस्सी, रंग, पैट, स्थानीय इत्यादि)	कुल योग-		0.000	0.500		0.500		0.500			0.500		0.500			0.500	1.500	
14	Concurrent Monitoring and Evaluation (Including MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)	@ 2% of Project cost		0.194			0.194					0.651		0.651			0.184	1.030	
	सकल योग-		5.236	4.163	0.510	9.909	8.687	23.625	0.250	32.562	5.338	3.625	0.250	9.213	51.490				

वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मजदूरी दर का नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर 249.83 रुपये प्रति मास दरिद्र के अंगार पर बीजना का प्राकलन द्वारा किया जाएगा।

प्रधान मुख्य अतिरिक्त अधिकारी, विकास, झारखण्ड, राँची।



## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्राए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-32/2019/1059

दिनांक - 14-Nov-2

क्रमांक	विपन्न कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उपभोग 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	72629	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	686,000.00 रुपये छः लाख छियासी हजार
State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA				
2	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उपभोग 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	72630	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D.F.O. SERAIKELLA-KHARSA WAH	686,000.00 रुपये छः लाख छियासी हजार
State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA				
3	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उपभोग 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	72631	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO,CHAIBASA FOREST DIV.	686,000.00 रुपये छः लाख छियासी हजार
State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA				

योग:

2,058,000.00

क्रमिक योग:

रुपये बीस लाख अठारवन हजार

(S) VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एकसेज नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>	72632	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	523,600.00 रुपये पाँच लाख तेइस हजार छः सौ
5	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>	72633	CTRFOR002 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	523,600.00 रुपये पाँच लाख तेइस हजार छः सौ
6	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>	72634	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	523,600.00 रुपये पाँच लाख तेइस हजार छः सौ
योग:				1,570,800.00
क्रमिक योग: रुपये छत्तीस लाख अठ्ठाइस हजार आठ सौ				3,628,800.00

(DR. VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं मत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	72635	BKRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY D F O, BOKARO	523,600.00 रुपये पाँच लाख तेइस हजार छः सौ
8	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	72636	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	6,004,100.00 रुपये साहठ लाख चार हजार एक सौ
9	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	72637	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	6,004,100.00 रुपये साहठ लाख चार हजार एक सौ
योग:				12,531,800.00
क्रमिक योग:			रुपये एक करोड इकसठ लाख साहठ हजार छः सौ	16,160,600.00

(SRI YAKRAM SINGH GAUR (FS)

PCCF,DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस न	निकासी एवं ध्यान पदा.	आवृत्त राशि
10	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>	72638	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO, CHAIBASA FOREST DIV.	6,004,100.00 रुपये साहठ लाख चार हजार एक सौ
State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337)				
Central Scheme : NA				
11	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>	72639	PLMFOR070 RAHUL KUMAR JFS D.F.O. MEDININAGAR. FOREST DIV.	416,300.00 रुपये चार लाख सोलह हजार तीन सौ
State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337)				
Central Scheme : NA				
12	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>	72640	CTRFOR002 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	416,300.00 रुपये चार लाख सोलह हजार तीन सौ
State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337)				
Central Scheme : NA				
योग:				6,836,700.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड उन्तीस लाख सिल्लानवे हजार तीन सौ			22,997,300.00

(SBI VIKRAM SINGH GAUR IFS)


PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एकरीस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601102090323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 102 - समाज तथा फार्म बानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>	72641	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	416,300.00 रुपये चार लाख सोलह हजार तीन सौ

State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337)  
Central Scheme : NA

14	S 19 240601102090323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 102 - समाज तथा फार्म बानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>	72642	BKRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY D.F.O, BOKARO	416,300.00 रुपये चार लाख सोलह हजार तीन सौ
----	---	-------	---	--

State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337)  
Central Scheme : NA



योग:

832,600.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड अडतीस लाख उन्तीस हजार नौ सौ

23,829,900.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI